UPFT010026202026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0(सी0 ए 0 डब्लू) कोर्ट संख्या–01, फतेहपुर।

उपस्थितः–अशोक कुमार XII––––––––एच 0 जे0 एस 0

जे०ओ० कोड–UP–1840

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1025 सन 2026

सूरज धोबी उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम पलिया बुजुर्ग छिवलहा, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .

..... अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–35/2026
धारा –87, 137(2)बी0 एन 0 एस 0
थाना–हथगांव, जिला फतेहपुर।

16–06–2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सूरज धोबी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 35/2026, धारा–87, 137(2) बी0 एन 0 एस 0 थाना हथगांव, जिला फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त मामले में अभियुक्त दिनांक 03–06–2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जगदीश प्रसाद का शपथ पत्र संलग्न है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए कथन किया है कि प्रार्थिनी सुमन देवी पत्नी राजेश कोरी निवासी पुरुषोत्तमपुर (आढूपुर) थाना हथगाँव जिला फतेहपुर की रहने वाली हूँ। दिनांक 28.2.2026 को समय करीब 8 बजे सुबह मेरी लड़की त्रिलोचना देवी उम्र करीब 17 वर्ष जो घर से छिवलहा जनता इण्टर कालेज, 12th बोर्ड पेपर देने को कहकर गयी थी पेपर समाप्त होने के बाद मेरी लड़की घर वापस नहीं लौटी तो मैने लड़की की काफी खोजबीन किया तो पता चला सूरज धोबी पुत्र अजात निवासी छिवलहा थाना हथगाँव फतेहपुर ने मेरी लड़की त्रिलोचना देवी को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। प्रार्थना पत्र देने आयी हूँ मेरी रिपोर्ट दर्ज करने की कपा करें।

जमानत प्रार्थना पत्र जो कि शपथपत्र से समर्थित है, में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि यह कि एफ.आई.आर. के अनुसार अभियिजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी सुमन देवी पत्री राजेश कोरी ग्राम पुरुषोत्तमपुर आहूपुर थाना हथगांव फतेहपुर कि रहने वाली हूँ। दिनांक 28.02.26 को समय करीब 8 बजे सुबह मेरी लड़की त्रिलोचना देवी उम्र करीब 17 वर्ष जो घर से छिवलहा जनता इंटर कालेज 12 बोर्ड पेपर देने को कहकर गई थी पेपर समाप्त होने के बाद मेरी लड़की घर वापस नहीं लौटी तो मैंने लड़की की काफी खोजबीन किया तो पता चला सूरज धोभी पुत्र अज्ञात निवासी छिवलहा थाना हथगांव फतेहपुर ने मेरी लड़की त्रिलोचना देवी को बहला फुसला कर कंही भगा ले गया है। प्रार्थनापत्र देने आई हूँ मेरी रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करे। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को रंजिशन व साजिशन गलत, झूठी एवं फर्जी कहानी गढ़कर मनगढंत तरीके से गलत तथ्य दर्शाकर बिल्कुल झूठा फसाया गया है, प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। जिस तरह की घटना अभियोजन द्वारा बताई गयी है वैसी कोई घटना हुई

ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण कहानी मनगढंत और फर्जी तथा कानूनी सलाह मशविरे के पश्चात् बनाई गई है और प्रार्थी को साजिशन झूठा अभियुक्त बनाया गया है। एफ.आई.आर. के अनुसार घटना के कथानक और वादिनी की पुत्री द्वारा दिए गए बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. आपस में परस्पर विरोधाभासी है जिससे भी स्पस्ट है कि कही जा रही घटना हुई ही नही बल्की बाद में पुलिस से मिल कर फर्जी कहानी गढ़ कर प्रार्थी को झूठा फसाया गया है। अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र जन साक्षी नही बनाया गया है जो साक्षी बनाये गए गई वो सब वादिनी के मित्र व पड़ोस वाले है इससे भी स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा झूठी, फर्जी व मनगठंत कहानी बना कर प्रार्थी को फर्जी केस में फसा दिया है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है बल्कि अपराधिक इतिहास तो दूर प्रार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत भी नही रही। प्रार्थी के विरुद्ध कोई केस धारा 87,137 (2) BNS का नही बनता है। प्रार्थी की यह उक्त मुकदमें में यह प्रथम दरख्वास्त जमानत है। प्रार्थी की कोई भी दरखास्त जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष उक्त मुकदमें में न तो प्रस्तुत की गयी है न ही निरस्त की गयी है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी जमानत से छूटने पर जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा माननीय न्यायलय के आदेशो का यथावत पालन करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त ने पीड़िता को उसके माता पिता के संरक्षण से यह जानते हुये बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि पीड़िता नाबालिग है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाया गया है। कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बतायी गयी है, जबकि पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 01–01–2009 अंकित है, जिससे कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र को घटना के समय 17 वर्ष 1 माह 27 दिन होने पाया गया है। इस स्तर पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में फर्जी एवं झूठा फंसाया गया है। पीड़िता को अभियुक्त द्वारा न तो भगाकर ले जाया गया है और न ही उसके साथ किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध बनाया गया है। पीड़िता ने स्वयं अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 03–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र, पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुनी तथा अभियोजन प्रपत्रों के कैस डायरी के पर्चों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग पुत्री त्रिलोचना देवी को अभियुक्त सूरज धोबी द्वारा उसके संरक्षण में बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संदर्भ में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में कथन किया है कि मेरा नाम त्रिलोचना पुत्री राजेश कुमार उम्र 17 वर्ष निवासिनी पुरुषोत्तमपुर थाना हथगाव जनपद फतेहपुर है मैं जनता इंटर कलेज छिवलहा फतेहपुर में कक्षा 12 की छात्रा हूं मैं सूरज धोबी पुत्र जगदीश निवासी छिवलहा थाना हथगाव जनपद फतेहपुर को लगभग 2 वर्ष से जानती हूं हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे हमारी आपस में बातचीत होने लगी तथा हम दोनों आपस में प्रेम प्रेम करने लगे जिसके चलते दिनांक 28.02.26 को समय करीब 10:00 बजे स्कूल का बोलकर घर से निकली सूरज मुझे मेरे गांव के बाहर मिल गया तथा हम दोनों बस से प्रयागराज तथा प्रयागराज से ट्रेन मुंबई पहुंचे तथा मुंबई में किराए से कमरा लेकर सूर्यानगर में रहने लगे तथा सूरज के पिताजी जगदीश उपरोक्त को हमारे रहने का पता लग गया तथा सूरज के पिता मुझे आज दिनांक 29.03.26 को मुझे फतेहपुर लेकर आए तथा मैं अपने मातापिता के साथ थाना हथगाव उपस्थित आई हूं यही मेरा बयान है। प्रश्न क्या तुम अपनी मर्जी से सूरज उपरोक्त के साथ गई थी, उत्तर हाँ मैं अपनी मर्जी से गई थी। प्रश्न क्या आप दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना

है, उत्तर नहीं हम दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाया है मैं जिस हाल में गई थी उसी हाल में वापस आई हूं, प्रश्न क्या तुम अपनी मर्जी से वापस आई हो, उत्तर हां मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूं। इसी प्रकार पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा–183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में कथन किया है कि मेरी उम्र 17 वर्ष है। मैं कक्षा 12 वीं तक पढ़ी हूँ। मैं दिनांक 28.02.26 को सूरज के साथ मुम्बई चली गयी थी। मुम्बई चलने के लिये मैने बोला था। सूरज ने मना किया था जाने से। मैने उसको जबरदस्ती चलने को बोला। सूरज के पापा लेने आये थे मुम्बई। उसके घर पर रोज पुलिस जा रही थी। तभी वापस आई हूँ। पीड़िता के उम्र संबंध में पत्रावली पर स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 01–01–2009 अंकित है जिससे कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र को घटना के समय 17 वर्ष 1 माह 27 दिन होने पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि पीड़िता नाबालिग है, को बहला फुसलाकर उसके परिवारिजन के संरक्षण से भगा ले गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गुण दोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सूरज धोबी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1025 सन 2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16–06–2026

(अशोक कुमार–XII)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0,
(सी0 ए 0 डब्लू0) न्यायालय संख्या–01,
फतेहपुर।